रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237169
CG-DL-E-07072022-237169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2961] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
No. 2961] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

सं. 18/2015–2020

विषयः– गेहूं के आटे की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3111(अ).—जबकि गेहूं और गेहूं के आटे की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई नए प्रतिस्पर्द्धी पैदा हो गए हैं और इससे कीमतों में उतार–चढ़ाव एवं गुणवत्ता संबंधी संभावित मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए, भारत से गेहूं के आटे के निर्यात की गुणवत्ता को बनाए रखना अनिवार्य है।

इसलिए केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची–2 के अध्याय 11 के आईटीसी (एचएस) कोड 1101 के स्थान पर क्रम संख्या 64 के तहत गेहूं के आटे की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
64	1101	गेहूं का आटा, मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिसलटैंट आटा	मुक्त	मुक्त। तथापि, गेहूं के आटे का निर्यात, गेहूं के निर्यात पर अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन है।

2. अधिसूचना 12 जुलाई 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। 06 जुलाई 2022 से 12 जुलाई 2022 तक की अवधि के दौरान गेहूं के आटे की निम्नलिखित प्रकार की खेपों को निर्यात करने हेतु अनुमत किया जाएगाः–

(i) जहां गेहूं के आटे का शिप पर लदान इस अधिसूचना से पूर्व शुरू हुआ है; और

(ii) जहां गेहूं के आटे की खेप को इस अधिसूचना से पूर्व सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत किया गया है।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

गेहूं के आटे की निर्यात नीति 'मुक्त' बनी रहेगी, लेकिन निर्यात गेहूं के निर्यात पर अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन होगा। अधिसूचना 12 जुलाई 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में तौर–तरीके अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

[फा. सं. 01/91/180/032/एएम–22/ईसी/पार्ट/ई–31336]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

No. 18 /2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of Wheat Flour (atta).

S.O. 3111(E).—Whereas global supply disruptions in wheat and wheat flour have created many new players and has led to price fluctuations and potential quality related issues. Therefore, it is imperative to maintain the quality of wheat flour exports from India.

Therefore, the Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends the Export Policy of wheat flour (atta) under S.No.64 against ITC (HS) code 1101 of Chapter 11 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

S.No.	ITC HS Codes	Description	Export Policy	Revised Export Policy
64	1101	Wheat Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta	Free	Free. However, export of wheat flour (atta) is subject to recommendation of Inter-Ministerial Committee (IMC) on export of wheat.

2. The Notification will come into effect from 12th of July, 2022. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. During the period from 6th July, 2022 till 12th July, 2022 the following consignments of wheat flour will be allowed to be exported:

i. where loading of wheat flour on the ship has commenced before this Notification; and

ii. where wheat flour consignment has been handed over to the Customs before this Notification and is registered in their system.

3. Effect of this Notification:

Export Policy of wheat flour (atta) remains 'Free', but export shall be subject to recommendation of Inter-Ministerial Committee (IMC) on export of wheat. The Notification will come into effect from 12th of July, 2022. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. Necessary modalities with regard to quality of wheat flour will be notified separately.

[F. No. 01/91/180/032/AM22/EC/Pt./E-31336]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.07 21:02:41 +05'30'